

7.1.20

पत्रावली पेशा। वकील वाही उपठ। वाही वकील
को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस रजि०
एडी संलिप पेशा करने के लिए कई बार
निर्देशित किया गया परन्तु वाही वकील अथवा
वादी द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं लेकर
आदिनाम तक नोटिस तलवाना रजि एडी संलिप
पेशा नहीं किया गया है। इससे यह प्रतीत होता
है कि वाही अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं
है। वकीलगण द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी
हेतु कुछ नोटिस तलवाना भय रजि० एडी
पेशा नहीं करने से द्वारा अपालना से
स्वतंत्र किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
शुभाह्वोकर व गम्बर से कम की जाकर
हाविल स्फोर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

